अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है। वाद पत्र में मौजा दुगोली में खेत खसरा नम्बर 1083 रकबा 5.6170 हैक्टेयर भूमि कि घोषणा वादी के पक्ष में चाही गई है। अतः हम वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिकी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी शुभराजसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगोली का खेत खसरा नम्बर 1083 रकबा 5.6170 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. शेंष खाता यथावत घोषित किया जाता है।
3. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरे का रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 28.2.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner